न्यायालय आर्बिट्रेटर (जिला कलक्टर) नागौर
पीठासीन अधिकारी–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या–42/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सुनीता खण्डेलवाल पत्नि श्री गोपीकिशन खण्डेलवाल निवासी बांठडी तहसील डीडवाना		1. भारत संघ जरिये सचिव सड़क एंव परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली। 2. उप सचिव (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर। 3. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एंव अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर। 4. प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंव कार्यालय इंजीनियर सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक नागौर द्वारा 140 आदर्श नगर, अजमेर।

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत।
2. अप्रार्थी 1,2 व 4 की ओर से वकील राकेश धनकड़ एवं अनिल गौड़।
3. अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

आदेश

दिनांक: 18-09-2018

1–प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–458 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 139.900 निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने/ दो लाईन बनाने आदि) के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3G के तहत पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 28.10.2014, दिनांक 04.08.2015, 27.06.2016 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 व संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधियिनयम 1997 सपठित धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 एवं भूमि अवाप्ति पुनर्स्थापन एवं पुर्नवास अधिनियम 2013 के अन्तर्गत दिनांक 27.03.2017 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया।

2–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना में दिये गये तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि–

2(1)– प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–458 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 139.900 निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड में (नागौर) तक सडक निर्माण (चौड़ा करने/ दो लाईन बनाने आदि) के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर से सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) के रूप में प्राधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के अन्तर्गत उक्तानुसार भूमि अधिग्रहण हेतु दिनांक 11.03.2013 के द्वारा अधिसूचना जारी की गई, जिसे स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 14.04.2013 को प्रकाशन करवाकर हितधारियों हर

कलक्टर, नागौर

आम खास की अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 21 दिन के भीतर यानि दिनांक 05.05.2013 तक के लिए आपत्तियां आमंत्रित की गई।

2(2)– प्रार्थीनी की वाणिज्यिक 3 दुकाने इसी राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 458 पर बांठड़ी चौराहा पर पेट्रोल पम्प के पास आई हुई है, इन दुकानों के चिपते ही रहवासी मकान दो मंजिला प्रार्थीनी का आया हुआ है, जिसके मालिकाना हक के दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश किये है।

2(3)– प्रार्थीनी की दिनांक 23.11.2015 से पूर्व प्रार्थीनी की सम्पति की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के लिए अवाप्ति की जायेगी, इस बाबत कोई जानकारी नहीं थी, समाचार पत्रों में भी प्रार्थीनी का नाम का उल्लेख नहीं था और ना ही भूमि अवाप्ति अधिकारी का नोटिस प्रार्थीनी के पास में था, प्रथम बार नवम्बर माह में प्रार्थीनी के पूर्व दरवाजे पर बी. फोर रा. चिन्ह रंग से किया गया और दुकान पर भी फोर चिन्ह किया गया तब प्रार्थीनी को जानकारी हुई की प्रार्थीनी की सम्पति को भी अवाप्त की जा रही है, तब प्रार्थीनी ने प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के यहां पर प्रार्थीनी के मालिकाना हक के दस्तावेज के सहित मकान व दुकान की फोटो सहित प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी की सम्पति के 567/151 पर आई है, जो पूर्व में यह सम्पति वाणिज्यिक उपयोग के लिए जिला कलक्टर नागौर से लीज करवाई थी, उसी में से 1/4 बीघा में यह मकान व दुकान बनी हुई है, जिसका मुआवजा उचित दर पर दिलवाया जावे। इस प्रार्थना पत्र की एक प्रतिलिपि तहसीलदार डीडवाना को भी दी गई है।

2(4)– प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के पत्र जबाब में तहसीलदार (भूमि अवाप्ति) डीडवाना दिनांक 23.12.2016 को अपने पत्र कमांक–प./58/भू.अ./एन.एक्स.458/15/अवाप्ति 18 जारी किया, जिसमें उन्होने लिखा प्रार्थीनी का पुराना खसरा नम्बर 151 का नया खसरा नम्बर 567/151 नामान्तरकरण संख्या 380 दिनांक 03.01.2017 दुबारा बनाया गया, साथ ही उन्होने पैरा संख्या 4 में लिखा कि खसरा नम्बर 567/151 में कोई भूमि अवाप्ति नहीं हुई है और प्रार्थीनी की जमीन ग्राम बांठड़ी खसरा नम्बर 151 नागान्तरकरण संख्या 343 के द्वारा 567/151 बनाया गया है, जो प्रार्थीनी सुनीता पत्नी गोपीकिशन कौम ब्राहमण के नाम की अवाप्त रकबा 0.01365 हैक्टयर है। इस पत्र की फोटो कॉपी प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है।

2(5)– उपरोक्त पत्र 23.12.2016 व प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2015 से पूर्व कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर ने पूर्व में जो सूची जारी की, इस सूची में प्रार्थीनी का नाम नहीं लिखा था, जो सूची दिनांक 17.06.2016 को जारी हुई थी, जिसकी फोटों कॉपी साथ पेश की गई है। प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 09.02.2016 को अपने पत्र कमांक–भूमि अवाप्ति/2016/367 जो पत्र परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कियान्वयन ईकाइ अजमेर को लिखा, जिसमें उन्होने स्पष्ट लिखा कि प्रार्थीनी सुनीता द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, उक्त पत्र की फोटो प्रति साथ पेश की गई है।

कलक्टर, नागौर

2(6)– तहसीलदार डीडवाना प्रार्थीनी की सम्पति के बाबत हल्का पटवारी बिच्छावा से भौतिक सत्यापन मांगा, तब प्रथम बार प्रार्थीनी की की सम्पति उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग में 0.01365 हैक्टयर अवाप्त की जा रही है, इस बात का उल्लेख किया जिसकी फोटो प्रति आवेदन के साथ पेश की गई है।

2(7)– प्रार्थीनी की सम्पति का आंकलन भूमि अवाप्ति प्राधिकृत अधिकार अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर ने न ढ़ग से किया, न प्रार्थीनी को सुना और अपने मनमाने ढ़ग से भूमि अवाप्ति का मुआवजा हर्जाना तैयार कर दिया, जिससे प्रार्थीनी को भारी आर्थित नुकसान हुआ। प्रार्थीनी की

सम्पति की वास्तविक मुआवजे की राशि प्रार्थीनी को नहीं मिली जिससे प्रार्थीनी को मजबूर होकर प्रार्थी को संशोधित अवार्ड रिफरेन्स करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

2(8)– प्रार्थीनी ने अण्डर प्रोटेस्ट जो उसके नाम से बैंक में जमा हुई थी, वह राशि अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुऐ प्राप्त की थी मगर वह अंतिम अवार्ड की राशि नहीं थी, यहां इस बात का खुलासा किया जाना जरूरी है कि प्रार्थीनी की सम्पति में वाणिज्यिक सम्पति भी थी और आवासीय दो मंजिला सम्पति भी थी, जिसके संबंध में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने सही ढ़ंग से मुआवाजा तय किया ही नही और ना ही प्रार्थीनी से कोई आपत्तियां ली, ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीनी को यह पूर्ण अधिकार है कि प्रार्थीनी का यह मामला प्रार्थीनी की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए रेफरेन्स किया जावे।

2(9)– प्रार्थीनी ने श्रीमान् एस.एन. पाण्डिया बी.ई. सिविल रजिस्ट्रेशन नम्बर CAT-I/2005-06/02/05 से अपनी भूमि एवं उस पर बने मकान का तकमीना बनवाया, इस अनुसार प्रार्थीनी को कुल मुआवजा 17,87,000/– रूपये की चार गुणा राशि मिलनी चाहिए, जो राशि प्रार्थीनी को पूर्व दी, वह राशि इसमें से कम करके बकाया राशि हेतु प्रार्थीनी का मामला रेफरेन्स किया जावे, तकमीना की छाया चित्र सहित फोटो कॉपी साथ में पेश है।

2(1)– प्रार्थीनी की सम्पति नागौर जिले के बांठड़ी चौराहे पर आई हुई है, जिससे श्रीमान् को प्रार्थीनी के मामले का अवार्ड रेफरेन्स करने का क्षेत्राधिकार है।

2(10)– प्रार्थीनी को पूर्व में उसकी सम्पति के अवार्ड के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, हाल ही में प्रार्थीनी को यह जानकारी हुई, सो प्रार्थीनी अपनी सम्पति का अवार्ड हेतु रेफरेन्स बाबत यह आवेदन पेश किया है।

2(11)– प्रार्थीनी को अवार्ड व मुआवजा राशि भूमि अवाप्ति संबंधी कानून, विधि व नियमों के अनुसार नहीं दिलाया गया है। अवाप्तशुदा भूमि के आस पास की सारी भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ काम आ रही है। बांठड़ी बस स्टेण्ड पर यह भूमि है तथा पास ही पेट्रोल पम्प है। राशि वाणिज्यिक दर से दिलाई जानी चाहिए का कथन करते हुऐ वकील प्रार्थी ने प्रार्थीनी की सम्पति के बाबत अवार्ड रेफरेन्स करने बाबत उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीनी को अवार्ड रेफरेन्स करने की कृपा करावें तथा साथ के साथ ए.डी.एम. नागौर के अवार्ड दिनांक 28.10.2014, 04.08.2015 व 27.06.2016 को पारित अवार्ड को प्रार्थी की अवार्ड राशि का पुनः निर्धारण व पुनर्मूल्यांकन कर विधि अनुसार बढ़ी हुई मुआवजा व बढ़ी हुई राशि दिलाई जावे।

3– राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की गांव बाठड़ी के खसरा नम्बर 151 में से 0.2462 हैक्टयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 (नागौर सेक्शन) के विस्तार के लिए भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 की धारा 3ए के अन्तर्गत अधिसूचना का दिनांक 11.3.2013 को राजपत्र में प्रकाशन हुआ एवं उक्त अधिसूचना का दैनिक नवज्योति व दैनिक भास्कर में दिनांक 14.04.2013 को प्रकाशन करवाकर आमखास से आक्षेप/आपत्तियां आमंत्रित किये गये और धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना का राजपत्र में 22.11.2013 को प्रकाशन हुआ तथा अधिसूचना का दैनिक नवज्योती व दैनिक भास्कर में दिनांक 24.12.2013 को प्रकाशन करवाया गया। प्रार्थी द्वारा निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

3(1)– धारा 3छ के अन्तर्गत दिनांक 28.10.2014 को भूमि अवाप्ति का आंशिक अवार्ड जारी किया गया था। अवार्ड निर्धारण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियम व निर्देशों की पालना की गई है। अवार्ड के अन्तर्गत कम संख्या 51 पर श्री रामचन्द्र विरेन्द्र पि. अर्जुनराम जाट सा. देह खातेदार के नाम से अवार्ड राशि 2,42,114/–रूपये स्वीकृत की गई

कलक्टर, नागौर

है। भूमि पर स्थित संरचना संख्या B-4A के लिए दिनांक 04.08.2015 को 501320/– और दिनांक 17.06.16 को सरंचना संख्या B-4 के लिए 585457/– अवार्ड स्वीकृत किया गया है, जो हितधारकों को नियमानुसार देय है।

3(2)– उक्त अवार्ड राशि का वितरण करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार राजस्व रिकार्ड के अनुसार भौतिक सत्यापन करवाया गया। जिनके अनुसार खसरा नम्बर 151 में से खसरा नम्बर 567/151 भी बना हुआ है। अवाप्त भूमि में इसी खसरे की भी आंशिक भूमि 0.0136 हैक्टयर शामिल है, शेष 0.2226 हैक्टयर भूमि विरेन्द्र व रामचन्द्र के हिस्से में बराबर बराबर है। मौके पर कब्जा भी इसी प्रकार है। इसलिए वास्तविक हितधारकों के खाताधिकारों के अनुपात में ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। इन संयुक्त हितधारकों के हिस्से से ही दिनांक 06.09.2016 को खसरा नम्बर 693/151 रकबा 1.08 (0.23255 हैक्टयर) बीघा व 738/567 रकबा 0.02 (0.01365 है.) भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के नाम स्वीकृत हो गई है।

3(3)– प्रार्थी श्रीमति सुनिता खण्डेलवाल के आवेदन पर दिनांक 25.11.2016 को 501320/– व दिनांक 12.11.2017 को 546912/–रूपये का भुगतान सरंचनाओं के अवार्ड का किया गया व प्रार्थी द्वारा एक लिखित शपथ पत्र रामचन्द्र व विरेन्द्र के पक्ष में देने के कारण भूमि का सम्पूर्ण मुआवजा रामचन्द्र व विरेन्द्र को बराबर दिया गया है। प्रार्थी की भूमि के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ होने संबंधित कोई दस्तावेज प्रार्थीनी ने अप्रार्थी संख्या 3 के समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने का कथन करते हुऐ राजपैरोकार ने प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

3(4)– वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 ने प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुऐ कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–458 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 139.900 निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा (नागौर) तक के सड़क निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत भूमि अधिग्रहित कर अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को अपना हित प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अवाप्तशुदा भूमि का विधिवत रूप से दिनांक 28.10.2014 को मुआवजा राशि हेतु अवार्ड पारित किया जा चुका है।

3(4)– अप्रार्थीगण द्वारा अवाप्तशुदा भूमि व भूमि के मालिक व हितबद्ध व्यक्तियों का सम्पूर्ण विवरण अवार्ड दिनांक 28.10.2014 में किया गया है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेखित भूमि अप्रार्थीगण द्वारा अवाप्त नहीं की गई है ना ही प्रार्थीया का नाम अवार्ड दिनांक 28.10.2014 में उल्लेखित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आवेदन पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

3(6)– प्रार्थीया द्वारा आवेदन पत्र की मद संख्या 4 में उल्लेखित तथ्या मिन उत्तरदाता से संबंधित नहीं होने के कारण जबाब मोहताज नहीं है। प्रार्थीया को मिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की राशि मुआवजा स्वरूप अदा नहीं की गई है, यदि प्रार्थीया ने किसी अन्य प्राधिकारी से मुआवजा राशि प्राप्त की है, तो उस संबंध में प्रार्थीया समस्त दस्तावेजात माननीय पंच महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर यह स्पष्ट करे कि प्रार्थीया ने मुआवजा किस भूमि व किस प्राधिकारी से प्राप्त किया है।

कलक्टर, नागौर

3(7)– प्रार्थीया द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्य अस्पष्ट है, जिनसे प्रार्थीया यह साबित करने में असफल है कि मिन अप्रार्थी उत्तरदाता प्रार्थीया की कौनसी भूमि व किस अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होने का वकील (अप्रार्थी संख्या 1,2 व 4) ने कथन करते हुऐ प्रार्थीया का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

4–वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार–

4(1)– निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–458 के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना संख्या–606(अ) दिनांक 11.03.2013 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत जारी हुई है, जिस पर धारा 3जी के तहत मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा सम्पादित करते हुए ग्राम बांठड़ी के खसरा नंम्बर 151 में से 0.2462 हैक्टयर बारानी 1 अधिग्रहित भूमि एवं पेड़ों के संबंध में कुल मुआवजा राशि 242114/–रूपये का आंशिक अवार्ड दिनांक 28.10.2014 को तथा तत्पश्चात इसी खसरे की उक्त रकबे की भूमि में पायी गई सरंचना B-4A के संबंध में कुल मुआवजा राशि 5,01,320/–रूपये का आंशिक अवार्ड दिनांक 04.08.2015 को तथा तत्पश्चात इसी खसरे की उक्त रकबे की भूमि में पायी गई सरंचना B-4 के संबंध में कुल मुआवजा राशि 5,85,457/–रूपये का आंशिक अवार्ड दिनांक 27.06.2016 (संशोधित अवार्ड 17.06.2016) को रामचन्द्र वीरेन्द्र पि0 अर्जुनराम कौम जाट सा. बिचावा खातेदार के पक्ष में पारित किया गया है। उपरोक्तानुसार तीनो अवार्ड में प्रार्थीया के नाम पारित नहीं किये गये है।

4(2)– प्रार्थी द्वारा मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व उन्हे सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने का कथन किया गया है, जबकि उपरोक्तानुसार अवार्डो के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 11.03.2013 का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 14.04.2013 में प्रकाशन कर 21 दिन की समयावधि देते हुए आपत्तियां आमंत्रित गई थी, जिसमें ग्राम बांठड़ी के खसरा नम्बर 151 का उल्लेख था, प्रार्थीया ने ग्राम बांठड़ी खसरा नम्बर 567/151 में पाई गई सरंचनाओं के मुआवजे के संबंध में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता की प्रार्थीया को उक्त खसरा को अवाप्त करने जानकारी नहीं रही हो, क्योंकि खसरा नम्बर 567/151 खसरा नम्बर 151 से ही बना है। तत्समय निर्धारित समयावधि में प्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ततपश्चात धारा 3घ की अधिसूचना दिनांक 22.11.2013 का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 24.12.2013 को प्रकाशित करवाया गया उक्त प्रकाशन के पश्चात भी प्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4(3)– प्राधिकृत अधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर ने अवार्ड राशि का वितरण करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार राजस्व रिकार्ड के अनुसार भौतिक सत्यापन करवाया गया, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 151 में से खसरा नम्बर 567/151 भी बना हुआ है। अवाप्त भूमि में इसी खसरे की भी आंशिक भूमि 0.0136 हैक्टयर शामिल है, शेष 0.2226 हैक्टयर भूमि विरेन्द्र व रामचन्द्र के हिस्से में बराबर बराबर है। मौके पर कब्जा भी इसी प्रकार है। इसलिए वास्तविक हितधारकों के खाताधिकारों के अनुपात में ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। इन संयुक्त हितधारकों के हिस्से से ही दिनांक 06.09.2016 को खसरा नम्बर 693/151 रकबा 1.08 (0.23255 हैक्टयर) बीघा व 738/567 रकबा 0.02 (0.01365 है.) भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के नाम स्वीकृत हो गई है।

कलक्टर, नागौर

4(4)– प्राधिकृत अधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर ने प्रार्थी श्रीमति सुनिता खण्डेलवाल के आवेदन पर दिनांक 25.11.2016 को 501320/– व दिनांक 12.11.2017 को 546912/–रूपये का भुगतान सरंचनाओं के अवार्ड का किया गया व प्रार्थी द्वारा एक लिखित शपथ

न्यायालय कलक्टर नागौर (राजस्थान)

पत्र रामचन्द्र व विरेन्द्र के पक्ष में देने के कारण भूमि का सम्पूर्ण मुआवजा रामचन्द्र व विरेन्द्र को बराबर दिया गया है। प्रार्थी की भूमि के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ होने संबंधित कोई दस्तावेज प्रार्थीनी ने अप्रार्थी संख्या 3 के समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किये गये है।

4(5)– प्रार्थीनी ने एस.एन. पाण्डिया बी.ई सिविल द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर बने मकान का तकमीना बनवाया जाना बताते हुऐ इस अनुसार प्रार्थीनी को कुल मुआवजा 17,87,000/– रूपये की 4 गुणा राशि मिलनी चाहिए तथा प्रार्थीनी ने वाणिज्यिक सम्पति का मुआवजा दिलाने का निवेदन किया है। जबकि हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि स्थित सरंचनाओं का मूल्यांकन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अजमेर द्वारा अधिकृत फर्म मैसर्स जैमन ऐसोसिएट्स टोंक रोड़ जयपुर के द्वारा किया गया। उक्त सरंचनाओं के मूल्यांकन का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रेण्डमली सत्यापन किया जाकर मूल्यांकन प्रतिवेदन अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त कलक्टर नागौर को भिजवाया गया तत्पश्चात नियमानुसार अवाप्तशुदा भूमि में स्थित सरचनाओं के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त कलक्टर नागौर द्वारा उपरोक्तानुसार आंशिक अवार्ड दिनांक 04.08.2015 एवं आंशिक अवार्ड दिनांक 27.06.2016 (संशोधित अवार्ड 17.06.2016) पारित किये गये है। संरचनाओं के मूल्यांकन के संबंध में विस्तृत विवेचन उक्त दोनों अवार्डो किया गया, जिसे नहीं मानने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अवार्डों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

5–उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत यह मध्यस्थता का प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 28.10.2014, 04.08.2015 एवं दिनांक 27.06.2016 (संशोधित अवार्ड 17.06.2016) को यथावत कायम रखा जाता है।

6–आदेश सुनाया।

(कुमार पाल गौतम)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर,
कलक्टर, नागौर